न्यायालय जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 गौरव सैनी

प्रा0पत्र संख्या– 39/23 तारीख रज्जू–12/09/23

1 सत्यनारायण पुत्र परसराम जाति ब्राम्हण निवासी ककराला तहसील बामनवास।

——अपीलान्ट

बनाम

1. अध्यक्ष सहकारी समिति लि0 ककराला।
2. सहकारी समिति लि0 ककराला जरिये व्यवस्थापक सहकारी समिति ककराला तहसील बामनवास।
3. सरपंच ग्राम पंचायत ककराला तहसील बामनवास। –रेसपोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक–11/06/2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत ककराला के पट्टा सं0 55 में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त पट्टा द्वारा संरपच ग्राम पंचायत ककराला ने ग्राम सेवा सहकारी समिति ककराला को 2500 वर्ग फूट (277.78 वर्गगज) भूमि का आवंटन किया है,साथ ही प्रार्थी ने पट्टा सं0 55 में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2018 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अधिनस्थ न्यायालय से मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि ग्राम ककराला में प्रार्थी के कब्जे शुदा मालिकाना हक की आबादी भूमि है ,जिस पर पूर्वजो के समय से ही प्रार्थी के बाबा उनके मरने के बाद प्रार्थी के पिता तथा उनके मरने के बाद प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि को प्रार्थी अपने ईधन व जानवरों के गोबर इत्यादि रखने के काम मे लेता चला आ रहा है। लेकिन ग्राम पंचायत ककराला ने बिना जानकारी प्रार्थी उक्त भूमि का पट्टा विलेख सं0 55 दिनांक 12/01/2018 को अप्रार्थी सं0 1व 2 के हक में जारी कर दिया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो ग्राम पंचायत द्वारा एक माह के आपत्ति पेश करने के हरखास आम को नोटिस जारी किये गये तथा ना ही पंचायत कार्यालय पर व आम चौराहे पर ऐसा कोई आपत्ति नोटिस चस्पा किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा गोपनीय तरीके से प्रार्थी की आवासीय भूमि का पट्टा अप्रार्थी सं0 1 व 2 के हक में जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज कानून नियम 158 के तहत अधिक भूमि का पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में उक्त विवादित भूमि मुख्य संड़क से 50 फिट दुरी होना अंकित किया है। जबकि नक्शें के अनुसार मुख्य सड़क से वाटर बॉक्स की दुरी 38 फिट है तथा उक्त वाटर बॉक्स से लगती हुई उत्तर दिशा में मुख्य सार्वजनिक विभाग की सड़क से लगती हुई भूमि का अप्रार्थी सं0 1 व 2 के हक में पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने 50 फिट में पूरी रोड का ही पट्टा जारी कर दिया गया है, साथ ही वकील प्रार्थी ने पट्टा सं0 55 में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2018 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन की शर्तो के अनुसार ही अप्रार्थी सं0 1 व 2 का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर समस्त कोरम की उपस्थिती में निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है। उक्त वाद आराजीयात किसी भामाशाह द्वारा दी गई है। जिसमें प्रार्थी को कोई हित निहित नहीं है ना हि प्रार्थी द्वारा उक्त वाद–आराजीयात में अपना हित निहित संबंधित कोई दस्तावेज/राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किये। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा राजकीय हित के लिए जारी किया गया है। वकील निगरानीगुजार द्वारा उक्त पट्टा सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पर देना अवगत कराया है। लेकिन निगरानीगुजार द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त पट्टा सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पर दिया गया हो ,साथ ही वकील निगरानीगुजार द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है, साथ ही वकील अप्रार्थी ने पट्टा सं0 55 में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2018 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

11/6/24
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई, उस पर मनन किया गया व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदा लत मातहत की पत्रावली अवलोकन करने पर आज्ञाओं की सूची दिनांक 20.10.2017 के अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि श्रवणलाल शर्मा एवं माधोलाल शर्मा से ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम निर्माण हेतु निःशुल्क जमीन देने हेतु सहमति प्रदान की गई है एवं आदलत मातहत की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 20.11.2017 के अनुसार उक्त वाद आराजीयात पर श्रवणलाल शर्मा व माधोलाल शर्मा का कब्जा है तथा आबादी भूमि में दिया गया पट्टा प्रमाण पत्र में भी उक्त वाद आराजीयात का स्वामित्व श्री श्रवण लाल शर्मा व माधोलाल शर्मा होना बताया गया है। अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट में वार्ड सदस्यों के हस्ताक्षर एवं एक माह का आपत्ति नोटिस दिया जाना पाया गया है। निगरानीगुजार ने अपनी निगरानी में उक्त वाद आरजीयात पर प्रार्थी के बाबा उनके मरने के बाद प्रार्थी के पिता तथा उनके मरने के बाद प्रार्थी का कब्जा होना बताया है, लेकिन निगरानीगुजार द्वारा उक्त कब्जे के संबंधित कोई दस्जावेज/साक्ष्य/राजस्व रिकोर्ड न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त वाद आराजीयात पर प्रार्थी का हित निहित है। वकील निगरानीगुजार द्वारा उक्त पट्टा सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पर देना अवगत कराया है, लेकिन निगरानीगुजार द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार नहीं बनाया है, साथ ही वकील निगरानीगुजार द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/राजस्व रिकोर्ड प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे स्पष्ट हो सके की ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर पट्टा दिया गया हो।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत ककराला के पट्टा सं0 55 में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11/06/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/6/24

(डॉ0 गौरव सैनी)

जिला कलेक्टर

गंगापुर सिटी

जिला कलेक्टर

गंगापुर सिटी (रा.)